



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-65

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 270744 दिनांक 09/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sumitra Devi W/o BHEEMA RAM SUTHAR	श्री सुरेश बिहारी माथुर पुत्र श्री चौथ मल माथुर	B360	168.05 SQ. YARD	Cooperative	SCHEME NO-10 B Sector/Block-	Name Transfer	भूखण्डधारी श्री सुरेश बिहारी माथुर द्वारा उक्त भूखण्ड बाबत दिनांक 21.06.2024 को श्रीमती सीमा सैन पत्नी श्री धर्मपाल के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, श्रीमती सीमा सैन द्वारा उक्त भूखण्ड बाबत दिनांक 21.05.2025 को श्री संदीप कुमार सिंघल पुत्र श्री कैलाश चन्द सिंघल एवं श्रीमती सुमन अग्रवाल पत्नी श्री संदीप कुमार सिंघल के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तथा श्री संदीप कुमार सिंघल एवं श्रीमती सुमन अग्रवाल द्वारा उक्त भूखण्ड बाबत दिनांक 17.11.2025 से श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री भीमा राम सुथार के पक्ष में पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Sumitra Devi W/o BHEEMA RAM SUTHAR को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |